

14/06/2024

पत्रावली पेभ ही हमारे द्वारा वाडपत्र व सेलम  
दस्तावेजात का भवलोम मिमगण वाडपत्र में  
समाक न्यापालय द्वारा जारी उत्तराधिकार ज्ञाण  
पत्र पेभ नबे किया गया है। तहसीलशाह अरु  
की रिपोर्ट में भी वारिशनों को विवाडिक बताया  
गया है। साथ ही वाडी साक्ष्य व दस्तावेजात  
से यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि वह  
वडी के विधिक वारिसान है। अतः उपयुक्त विवेचन  
के आध्या पर वाडी का वाड साक्ष्य, सबूत व  
दस्तावेज के अभाव में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली पेभल शुमार लेकर नमस्कार के कर्म है।

**उपखण्ड अधिकारी**  
अराँद (अजमेर)

